फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्री किशन पिता हजारी जाट निवारी दौलतपुरा तहसील माण्डल

बनाम

श्रीमती कमली पुत्री हजारी जाट निवारी दौलतपुरा हाल निवासी आमली तहसील सहाड़ा [illegible]

किस्म मुकदमा 212 प्रार्थनापत्र नं0 71 सन 2020

नांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	[illegible]
2020	प्रकरण प्रस्तुत हुआ पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर उपस्थित वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई कि ग्राम दौलतपुरा पटवार हलका जोरावरपुरा तहसील माण्डल के आराजी नं. 160, 166, 171, 174, 186, 187, 189, 198, 199, 217, 218, 220, 225, 265, 266, 553, 559/167 व 222 कुल किता 18 रकबा 4.6158 हैक्टयर भूमि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 01 लगायत 12 के नाम दर्ज है जिसमें सभी अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। परन्तु विपक्षीगण बिना विभाजन कराये ही रहन बय बख्शीस , अन्तरित, भारित व बैंक से ऋण लेकर आराजियात को खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है। अतः विपक्षीगणों को पाबंद करे कि वह प्रश्नगत आराजी बिना विभाजन कराये खुर्द-बुर्द नहीं करे कब्जे कास्त से बेदखल नहीं करने तथा मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है। मैनें प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष का है। यदि विपक्षीगण बिना विभाजन आराजियात को खुर्द-बुर्द करते है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम दौलतपुरा पटवार हलका जोरावरपुरा तहसील माण्डल के आराजी नं. 160, 166, 171, 174, 186, 187, 189, 198, 199, 217, 218, 220, 225, 265, 266, 553, 559/167 व 222 कुल किता 18 रकबा 4.6158 हैक्टयर भूमि बीघा भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल नहीं करने तथा मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगणों के विरूद्व एवं विपक्षी संख्या 14 पंजीयन नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक 24.12.2020 तक जारी की जाती है । रास्तों पर लागु नहीं । आदेश 39 नियम 3 की पालना हो। हुकम इत्तलाई चंद रोजा पेश करने पर जारी करें। पत्रावली दिनांक 24.12.2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) **उपखण्ड अधिकारी** **मांडल जिला भीलवाड़ा**	
24.12.20	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्तागण प्रार्थी न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 1.2.21 को पेश हो। अब तक आदेश यथावत रहेगा।	
01.02.21	वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पत्रावली सिगह से तलब की गई, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजीनामा को शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र मे बताया गया कि हमारे दोनो पक्षकारान् के	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.06.16 12:56:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है, उक्त प्रकरण मे
मैं आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूं, प्रार्थना पत्र को
इसी स्टेज पर ड्रोप फरमाया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत प्रार्थना
पत्र पर मनन किया। न्यायहित मे वकील प्रार्थी का
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के प्रार्थनापत्र
मे आपसी राजीनामा हो जाने से व प्रकरण मे आगे
कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र
इसी स्टेज पर ड्रोप किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद पत्र के साथ
संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.06.16 12:56:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner